न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2020(2020/00014)

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्श नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

अधिकारी(राजस्व) ... भादरा जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुनील बैनीवाल वादी
श्री विनोद कालेरा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 07/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 97/77 के मु0न0 42 के किला न0 3 ता 20, 23 ता 25 कुल किता 21 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लेखराम की खातेदारी हुआ करती थी। लेखराम के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी बृजलाल ने कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बृजलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमिं है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बृजलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल को वादी के दादा लेखराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2029–38 चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 49 से साफ रोशन है

इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि पर केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहते है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि रोही मौंजा चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 97/77 के मु0न0 42 के किला न0 3 ता 20, 23 ता 25 कुल किता 21 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मनोजकुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना के द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, चालू जमाबंदी चक 6 एनटीआर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 97/77 प्रदर्श 2, खतौनी जमाबंदी चक 6 एनटीआर सम्वत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद भूमि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 97/77 के मु0न0 42 के किला न0 3 ता 20, 23 ता 25 कुल किता 21 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 2

बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 97/77 के मु0न0 42 के किला न0 3 ता 20, 23 ता 25 कुल किता 21 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 मनोज कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 बृजलाल व प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 सुमन द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2020(2020/00014)

अनवान : –

1. मनोज कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. राकेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री बृजलाल जाति ब्राह्मण निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्श नेठराना जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री विनोद कालेरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता सं 97/77 के मु0न0 42 के किला न0 3 ता 20, 23 ता 25 कुल किता 21 की कुल 5.313 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल के नाम मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी संख्या 1 मनोज कुमार एवं प्रतिवादी सं 1 बृजलाल व प्रतिवादी संख्या 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 सुमन द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़